

उत्तराखण्ड शासन  
कार्मिक एवं सतर्कता अनुमान—2  
संख्या: २२३/XXX(२)/२०२०-३०(२२)/२०१८  
देहरादून: दिनांक: ७ अगस्त, २०२०

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिकमण करके उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के परित्याग (Forgo) की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने एवं कार्मिकों को अनुशासित बनाये रखने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

**उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020**

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 है।  
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिमाणाएं

2. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो —  
(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से उत्तराखण्ड राज्य में लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति हेतु सम्बन्धित सेवा नियमावलियों में उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है;  
(ख) “आयोग” से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;  
(ग) “संविधान” से भारत का संविधान अभिप्रेत है;  
(घ) “सरकार” से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है; और  
(ङ) “राज्यपाल” से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत

पदोन्नति  
परित्याग  
(Forgo)

का

3.

है।

राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत कार्मिकों द्वारा पदोन्नति का परित्याग (Forgo) करने पर नियुक्त प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जा सकेगी –

- (1) राज्याधीन सेवाओं में विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर नियुक्त प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति आदेश में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकतम पन्द्रह दिन की अवधि निर्धारित की जायेगी, किन्तु सम्बन्धित कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु लिखित अनुरोध पर अपरिहार्य परिस्थिति में नियुक्त प्राधिकारी द्वारा पन्द्रह दिन का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा;
- (2) यदि किसी कार्मिक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण न कर लिखित रूप में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) प्रथम बार किया जाता है तो नियुक्त प्राधिकारी ऐसे प्रकरणों में गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले सकेंगे;
- (3) यदि उसी चयन वर्ष में पुनः विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आहूत की जाती है तो नियुक्त प्राधिकारी द्वारा उपनियम (2) के अनुसार लिये गये निर्णय से विभागीय पदोन्नति समिति को अवगत कराया जायेगा और पदोन्नति का परित्याग (Forgo) करने वाले कार्मिक से कनिष्ठ (पदोन्नति हेतु पात्र/उपयुक्त) कार्मिक की पदोन्नति की संस्तुति हेतु अनुरोध किया जा सकेगा,

परन्तु पदोन्नति का परित्याग (Forgo) करने वाला कार्मिक किसी नियम या शासनादेश में किसी बात के होते हुए भी कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति का दावा नहीं कर सकेगा;

- (4) यदि किसी कार्मिक के द्वारा विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व ही सम्भावित चयन/पदोन्नति का परित्याग (Forgo) करने का लिखित अनुरोध किया जाता है तो ऐसा किया गया

नियमावली का लागू होना  
अनुशासनिक कार्यवाही का किया जाना

4. अनुरोध अनुशासनहीनता माना जायेगा एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 18(2) के अन्तर्गत सम्भावित स्थानान्तरण से बचने का प्रयास तथा उसे कार्य के प्रति अभिरुचि न लेने आदि के आधार पर धारित पद पर ही उक्त अधिनियम की धारा 18(4) के अन्तर्गत प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा;
- (5) यदि किसी कार्मिक द्वारा उसे दी गयी पदोन्नति को द्वितीय बार परित्याग (Forgo) किये जाने का लिखित अनुरोध किया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक के अनुरोध पर नियुक्त प्राधिकारी उप नियम (3) एवं (4) के अनुसार कार्यवाई कर सकेंगे;
- (6) यदि किसी कार्मिक द्वारा दो से अधिक बार पदोन्नति का परित्याग (Forgo) किये जाने का लिखित अनुरोध किया जाता है तो उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 अथवा अन्य किसी नियम/शासनादेश में किसी बात के होते हुए भी ऐसे कार्मिक पदोन्नति के पद पर अपनी ज्येष्ठता खो देंगे तथा खोई हुई ज्येष्ठता को पुनः प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
- यह नियमावली राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों की नियमित पदोन्नति के सम्बन्ध में लागू होगी।
- इस नियमावली के उपबन्धों को लागू करने में शिथिलता बरते जाने पर उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के उपबन्धों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।

(राधा रत्नाली)  
अपर मुख्य सचिव।